



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4539]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940

No. 4539]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2018

का.आ. 5758(अ).—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 2 के खंड (घ) और धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) का.आ. 2666(अ). तारीख 17 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) पैराग्राफ (i), उप-पैराग्राफ (xvii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(xvii) औषधियां (औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत टीकों और पशुचिकित्सा जैविकीय को छोड़कर गोकुलीय स्वेतक और पशुमूल की औषधि.) और नैदानिक (जिसमें अन्तजीव प्रयोजन के लिए रक्त या सीरम अंतर्विष्ट हों);”

(2) अनुसूची में;

(i) पैराग्राफ (3) में उप-पैराग्राफ (viii) में निम्नलिखित उपबंध अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:—

“परन्तु यह भी कि पैराग्राफ 1 की क्रम संख्या (xix), (xx) तथा (xxi) पर अन्य पूर्ण खाल एवं त्वचा, अन्य पक्षीय के अतिरिक्त चर्मपत्र बनाये गए, चमड़े सहित, सिझाने अथवा पपड़ी बनाने के बाद आगे तैयार, गोकुलीय (भैंस सहित) अथवा अश्वीय पशुओं अथवा अन्य पशुओं, जिसके ऊपर ऊन या बाल ना हों, अलग किये गए अथवा नहीं, सांभर (जिसमें सयोजन सांभर भी है) के चमड़े के अतिरिक्त अन्य चमड़ा, सूचीबद्ध पशुधन उत्पादों के लिए संबंधित संगरोध अधिकारी के अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।”

(ii) पैराग्राफ (4) में, दूसरे उपबंध के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:—

“परन्तु यह भी कि पैराग्राफ 1 के क्रम संख्या (i) से (xiv) तक सूचीबद्ध पशुधन उत्पादों को कोलकाता और नई दिल्ली, में पशु संगरोध और प्रमाणीकरण केंद्रों के अधिकारिता के अधीन रक्सोल (बिहार), जोगवानी (बिहार) और अटारी (पंजाब) में स्थित हवाईअड्डों या भूमिपत्तन, जैसे भी मामला हो, भारत में आयात की अनुमति दी जाएगी:

परंतु यह भी कि पैराग्राफ 1 के क्रम संख्या (viii) से (xxx) तक सूचीबद्ध पशुधन उत्पादों को कोलकाता में पशु संगरोध और प्रमाणीकरण केंद्र की अधिकारिता के अधीन फुलबाड़ी (पश्चिम बंगाल) में स्थित हवाईअड्डों या भूमिपत्तन, जैसा भी मामला हो, भारत में आयात की अनुमति दी जाएगी:

परंतु यह भी कि पैराग्राफ 1 के क्रम संख्या (i) से (xxx) तक सूचीबद्ध पशुधन उत्पादों को कोलकाता में पशु संगरोध और प्रमाणीकरण केंद्र की अधिकारिता के अधीन मोरेह (मणिपुर) में स्थित हवाईअड्डों या भूमिपत्तन, जैसा भी मामला हो, भारत में आयात की अनुमति दी जाएगी:

परंतु यह भी कि जलीय उत्पादों, अंडों और सभी जलीय पशुओं के बीज जिसके अंतर्गत मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क भी हैं, के आयात को पशु संगरोध और प्रमाणीकरण केंद्र, कोलकाता की अधिकारिता के अधीन मोरेह (मणिपुर) में स्थित हवाईअड्डों या भूमिपत्तन, जैसा भी मामला हो, आयात की अनुमति दी जाएगी।”

[फा. सं. 102-1/2016-व्यापार]

सागर मेहरा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को अधिसूचना संख्या का.आ. 2666(अ.) द्वारा प्रकशित की गई थी और तत्पश्चात् इसे दिनांक 19 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2998(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3112(अ), दिनांक 22 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 948(अ) तथा दिनांक 4 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2486(अ) द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi the 16th November, 2018

S.O. 5758(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 and section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2666(E), dated the 17th October, 2014, namely:—

In the said notification,—

(1) In paragraph (1), for sub-paragraph (xvii), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(xvii) Medicaments (bovine albumin and drug of animal origin except vaccines and veterinary biological under the Drugs and Cosmetics Act, 1940) and diagnostics (containing blood or serum fractions for in vitro application)”;

(2) In the Schedule,—

(i) in paragraph (3), in sub-paragraph (viii), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that for the livestock products listed at serial numbers (xix), (xx) and (xxi) of paragraph 1, except other of whole hides and skins, including sides of leather further prepared after tanning or crusting, parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals or of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of chamois (including combination chamois) leather, no objection certificate of the concerned Quarantine Officer will not be required”;

(ii) In paragraph (4), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that livestock products listed at serial numbers (i) to (xiv) of paragraph 1 shall be allowed to be imported into India through airport or land port, as the case may be, located at Raxaul

(Bihar), Jogbani (Bihar) and Atari (Punjab) under the jurisdiction of Animal Quarantine and Certification Stations in Kolkata and New Delhi, respectively:

Provided also that livestock products listed at serial numbers (viii) to (xxx) of paragraph 1 shall be allowed to be imported into India through the airport or land port, as the case may be, located at Fulbari (West Bengal) under the jurisdiction of Animal Quarantine and Certification Station in Kolkata:

Provided also that livestock products listed at serial numbers (i) to (xxx) of paragraph 1 shall be allowed to be imported into India through the airport or land port, as the case may be, located at Moreh (Manipur) under the jurisdiction of Animal Quarantine and Certification Stations in Kolkata:

Provided also that the import of aquatic products, eggs and seeds of all aquatic animals including fish, crustaceans, molluscs, the import shall also be allowed through the airport or land port, as the case may be, located at Moreh (Manipur) under the jurisdiction of Animal Quarantine and Certification Stations in Kolkata.”.

[F. No. 102-1/2016-Trade]

SAGAR MEHRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 2666(E), dated the 17th October, 2014 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 2998(E), dated the 19th September, 2016, S.O. 3112(E), dated the 30th September, 2016, S.O. 948(E), dated the 22nd March, 2017 and S.O. 2486(E), dated the 4th August, 2017.